




सुन्दरी देवी

बनाम

महेश गोमुख

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
30-11-17	<p>अभिलेख सं०-एम...156.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी लमाड के अप्राथमिकी सं०-53/17 दिनांक-11-11-2017 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि प्रधान मंत्री आवास निर्माण कार्य की लीडने के संबंध में विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि ...15-12-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	
15-12-17	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जमानत दाखिल की दिनांक 05-01-18 को रखे।</p> <p></p>	

(5)

पृष्ठ सं०-

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

25-06-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष
उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद में
अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

8
25/6/18